Project Report Cost Reimbursement

परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्तिः–

उद्योगों की स्थापना हेतु तैयार की गई परियोजना प्रतिवेदन पर हुये व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति परियोजना लागत के लघु उद्योगों के लिए 1 प्रतिशत की दर से एवं वृहद् एवं मध्यम उद्योगों को 0.5 प्रतिशत की दर से दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 3 लाख होगी।

(कंडिका क्रमांक 4.2.7)

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 20–21 / 2005 / बी / ग्यारह भोपाल, दिनांक 04.06.2005

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्य प्रदेश

विषयः–परियोजना प्रतिवेदन प्रतिपूर्ति योजना।

मध्यप्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति–2004 एवं कार्ययोजना के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन के आदेश क्रमांक 14980 / 4443 / 11 / ब दिनांक 9.11.1973 से जारी परियोजना प्रतिवेदन प्रतिपूर्ति योजना के बिन्दु–3 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

1– दिनांक 1.4.2004 के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले उद्योगों को परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति निम्नानुसार देय होगी –

क्र.	उद्योगों की श्रेणी	परियोजना लागत का प्रतिशत	अधिकतम राशि रूपये
1.	लघु उद्योग	1.00 प्रतिशत	3.00 लाख
2.	वृहद एवं मध्यम उद्योग	0.5 प्रतिशत	3.00 लाख

2– इस योजना के अंतर्गत नवीन उद्योगों को प्रदत्त सुविधाएं कतिपय उद्योगों को उपलब्ध नहीं होगी यथा, स्लॉटर हाउस, एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर), तम्बाकू एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद,मदिरा, पान मसाला, गुटखा, परंपरागत् उद्योग इत्यादि। (सूची राज्य शासन द्वारा शीघ्र जारी की जावेगी।) शासन द्वारा आवश्यक होने पर समय–समय पर यह सूची संशोधित की जायेगी।

3– पूर्व स्थापित उद्योगों द्वारा क्षमताविस्तार / डायवर्सीफिकेशन / तकनीकी उन्नयन पर यदि पूर्व में किये गये स्थायी पूंजी निवेश के न्यूनतम 50प्रतिशत के तुल्य अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश किया जाता है तो ऐसी इकाईयों को अतिरिक्त क्षमता विस्तार / डायवर्सीफिकेशन / तकनीकी उन्नयन एवं पूंजी निवेश पर नई इकाईयों के समान परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जायेंगी। किन्तु अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश की राशि 5.00 करोड़ से अधिक की होना

अनिवार्य होगा, साथ ही इकाई द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता विगत 3 वर्षों में किये गये औसत उत्पादन से अधिक के अतिरिक्त उत्पादन पर ही सुविधा का लाभ दिया जायेगा। जिन इकाईयों द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं किया गया हो तो उन्हें विस्तार योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

4— उद्योग संवर्धन नीति—2004 एवं कार्ययोजना अंतर्गत विशिष्ट उद्योगों जो निम्नानुसार है, को परियोजना प्रतिवेदन पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति की जावेगी :—

(अ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (मध्यप्रदेश शासन के पृथक आगम विभाग द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक 16.6.89—ग्यारह—ब—दिनांक 17 जुलाई 1989 के एनेक्जर—lll के अनुसार उत्पाद) सूची परिशिष्ट—'अ' अनुसार

(ब) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) संदर्भित बीमार वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को प्रबंधन परिवर्तन के द्वारा अधिग्रहित कर अथवा क्रयकर पुनर्वासित करने पर बी.आई.एफ.आर. द्वारा परिसमापन मत के उपरांत लिक्वीडेशन में लंबित उद्योग तथा राज्य शासन के निगमों एम.पी. स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन या मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा अधिग्रहित इकाईयों को क्रय/अधिग्रहित करने के पश्चात अन्य इकाई या कंपनी को विक्रय करने पर यदि पुनर्वासित इकाई के स्थायी पूंजी निवेश में अधिग्रहणकर्ता/क्रयकर्ता द्वारा दिनांक 1.4.2004 को या उसके पश्चात किया गया नवीन पूंजी निवेश पूर्व पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत से अधिक होता है तथा इकाई द्वारा नवीन पूंजी निवेश हेतु परियोजना तैयार करताहै तो ऐसी इकाईयोंको उक्त परियोजना प्रतिवेदन में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति नवीन इकाई के समान की जावेगी।

5— योजना में उल्लेखित जिला उद्योग केन्द्र के स्थान पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र स्थापित किया जाता है।

6— योजना की प्रचलित शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

7— परियोजना प्रतिवेदन जिन संस्थाओं से तैयार कराया जाना है। वे ऐजेंसियां राज्य शासन अथवा भारत सरकार से अनुमोदित संस्थाएं होना चाहिए जैसे कि अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं/मध्य प्रदेश वित्त निगम/एम.पी. कॉन/सीईडी एमएपी/बैंक्स आदि।

इस प्रयोजन के लिए वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा उनके यू0ओ0 क्रमांक 342/आर.490/ब—2 दिनांक 03.05.05 से सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/—
(विश्वपति त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव,
म0प्र0 शासन,

वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

पृ0क्रमांक क्रमांक एफ 20–21/2005/बी/ग्यारह भोपाल, दिनांक 04.06.2005

प्रतिलिपि–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग,भोपाल की ओर महालेखाकार ग्वालियर को पृष्ठांकित करने हेतु।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो0 लिमि. भोपाल।

हस्ता/

उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

APPLICATION FORM

1	Name and address of the applicant	
2	Present activities	
3	Present organisational pattern, and with antecedents of owners, partners or directors, etc.	
4	Proposed industry with location and tentative capacity and cost with break-ups wherever possible (Please give all possible information)	
5	The type of study/report desired.	
6	Extent to which promoter would be willing to invest funds	
7	Preference regarding consultants	
8	Preliminary steps taken, if any. (This would include information with the application for registraion with the State Director of Industries or DGTD or some other competent agencies, if and when required by law or regulations, application for getting industrial licence, negotiations with consultants, collections of basic data etc.)	

....